<u>संख्या 04 /2017/1208/ सात-न्याय -9(बजट)-2017-800(9)/2016</u>

प्रेषक,

उमेश कुमार
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद ।

न्याय अनुभाग-9 बजट **लखनऊ दिनांक 05 जनवरी ,2018**

विषय- जनपद बलिया में पारिवारिक न्यायालय के निर्माण हेतु पुनरीक्षित प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0-2646/सात-न्याय-9(बजट)-2014-800(54)/2011, दिनांक 24 अक्टूबर 2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण करे, जिसके माध्यम से जनपद बलिया में पारिवारिक न्यायालय के निर्माण हेतु रू0109.09 लाख के संशोधित आगणन पर प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ पूर्व स्वीकृत धनराशि रू0 46.95 लाख को समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि रू062.14 लाख की स्वीकृति निर्गत की गयी है ।

2- तत्क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद बलिया में पारिवारिक न्यायालय के निर्माण हेतु पुनरीक्षित आगणन रू0121.90 लाख पर पुनरीक्षित प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष् स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1- कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।

2- निर्माण कार्य की गुण्वत्ता बनी रहे तथा कार्य की मापों/ मात्राओं आदि की द्विरावृत्ति की सम्भावना किसी स्तर पर न हो इसका दायित्व कर्यदायी संस्था का होगा तथा इसकी देख रेख के लिए जनपद न्यायाधीश द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जायेगा।

3- प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना कार्यो के आकार एवं क्षेत्रफल में वृद्धि एवं उच्च विशिष्टियों का इस्तेमाल सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना नहीं किया जायेगा ।

4- स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जायेगा ।

5- धनराशि का उपयोग दिनांक 31-03-2018 तक कर लिया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि बैंकखाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6 पुनरीक्षित आगणन के आधार पर प्रश्नगत कार्य हेतु अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों का आवश्यकतानुरूप जनपद न्यायाधीश/निर्माण कार्य हेतु चयनित कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण / सक्षमलोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।

7- निर्माण कार्य हेतु चयनित कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक बैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरण क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।

8- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम मे न तो स्वीकृत है, और न वर्तमान में किसी अन्य योजना कार्यक्रम में अच्छादित है।

9- लागत आकंलन प्रस्तावित मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा ।

10- प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

11- लेबर सेस की धनराशि श्रम विभाग को नियमानुसार उपलब्ध कराया जायेगा।

12- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, तथा समय समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

13- प्रायोजना में वर्क टू बी डन की लागत हेतु जी0एस0टी0 की वास्तविक धनराशि नियमानुसार देय होगी ।

14 दिनांक 01 सितम्बर,2017 से प्रदेश सरकार द्वारा निर्माण कार्य में ई-टेण्डरिंग व्यवस्था लागू की गयी है । इसका नियमानुसार अनुपालन कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा ।

15- भारत सरकार द्वारा सामग्री और सेवाओं के आपूर्ति के लिए गर्वनमेन्ट ई- मार्केट प्लेस (GeM) पोर्टल लागू किया गया है । प्रदेश सरकार द्वारा इस व्यवस्था को अंगीकार करते हुए जेम पोर्टल पर सामग्री क्रय एवं सेवाओं की आपूर्ति हेतु सूक्षम लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के शासनादेश दिनांक 23 अगस्त,2017 एवं 29 अगस्त,2017 के माध्यम से दिशा निर्देश निर्गत किया गया है। कार्यदायी संस्था द्वारा इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

16- प्रश्नगत कार्य के सम्बन्ध में प्रदेश का राजकोषीय प्रबन्धन विषयक वित्त आय् व्ययक अनुभाग 2 के शासनादेश सं0 बी 2-171 / दस – 2008- 244- 5/2008, दिनांक 21 जनवरी 2010 में दिये गये निर्देशों का कडायी से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए निर्माण एजेन्सी/ सम्बन्धित उत्तरदायी होंगे।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष् 2017-2018 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-42 के अधीन लेखाशीर्षक 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय- 01-कार्यालय भवन- 051-निर्माण - 01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं -0101-प्रदेश के विभिन्न जनपदों में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

न्यायालय की स्थापना (के0-60/रा0-40, के0*रा0)- 24 वृहत निर्माण कार्य, के नामे डाला जायेगा ।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-ई-12- 13 /दस-2017, दिनांक 03 जनवरी ,2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है ।

भवदीय,

(उमेश कुमार)
प्रमुख सचिव

सं0- 04 /2017/ 1208 (1)/सात-न्याय-9(बजट)-2017, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) रिपोर्ट लेखा अनुभाग उ0प्र0 इलाहाबाद।

3- निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ ।

4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, प्रथम तल, जवाहर भवन, लखनऊ ।

5- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्टेट लखनऊ मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच के माध्यम से ।

6- जनपद न्यायाधीश बलिया / वित्त ई- 12 ।

7- निदेशक सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम लखनऊ ।

8- परियोजना प्रबन्धक, सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम आजमगढ़ ।

9- सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी/ गार्डबुक न्याय-9 (बजट) ।

आज्ञा से,

(राजेश पति त्रिपाठी)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।